

**ग्राम पंचायत यूरनाथ, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016

भाग—एक

- 1 प्रस्तावना (क):—** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा दायित्व पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत यूरनाथ, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:—

(i) प्रधान:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री अमर सिंह	1.4.13 से 31.3.16

(ii) सचिव:—

1	श्रीमती कमला देवी	1.4.13 से 31.3.16
---	-------------------	-------------------

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:— ग्राम पंचायत यूरनाथ के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र०सं०	पैरा सं०	गम्भीर अनियमितता का सार	₹ (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का रख रखाव नियमानुसार न करना	
2	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.13
3	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय	10.90
4	8	अनुदानों का अवरोधन	22.45

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:—

ग्राम पंचायत यूरनाथ, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 16.9.16 से 21.9.16 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः माह 5/13, 5/14 व 3/16 तथा 2/14, 10/14 व

12/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत यूरनाथ, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पति के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या VD (211)/2016-166, दिनांक 20.9.16 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत यूरनाथ से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत यूरनाथ, विकास खण्ड लाहौल की अवधि 4/13 से 3/16 की वित्तीय स्थिति बैंक पास बुक के अनुसार निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 1 (क) में दिया गया है:-

(क) स्वयं स्रोत व अनुदान (मनरेगा व हरियाली के अतिरिक्त)

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	ब्याज ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2013-14	349425.95	1456665	14702	1820792.95	1530595	290197.95
2014-15	290197.95	2925290	14549	3231036.95	2770976	460060.95
2015-16	460060.95	6306830	17786	6784676.95	4101666	2683010.95

ग्राम पंचायत यूरनाथ के विभिन्न बैंक खातों में दिनांक 31.3.16 को जमा शेष राशियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

Sr.No.	Name of Bank	Account No.	Amt.
1	K.C.C.	20007339559	2233836
2	S.B.I	11390273094	36432.95
3	K.C.C.	50062190778	375000
4	P.N.B.	4519000100035680	1502
5	S.B.I	30585394823	7606
6	P.N.B.	4519000100005953	816
7	P.N.B.	4519000100005962	27818
8	P.N.B.	4519000100032744	Nil
		Total	₹2683010.95

(ख) मनरेगा

Year	Opening Balance	Receipt During the year	Int.Receipt during the year	Total	Exp.	Closing Balance
2013-14	343	194769	107	195219	195009	210
2014-15	210	533450	143	5339803	526890	6913
2015-16	6913	476412	693	484018	476412	7606
Bank A/c No. 30585394823						₹7606

(ग) हरियाली

Year	Opening Balance	Receipt During the year	Int.Receipt during the year	Total	Exp.	Closing Balance
2013-14	13494	105000	611	119105	100000	19105
2014-15	19105	641012	1355	661472	633529	27943
2015-16	27943	175472	1270	204685	176051	28634
Bank A/c No.(i)4519000100005953						₹816
(ii) 4519000100005962						₹27818
						28634

4.1 रोकड़ बही का रख-रखाव नियम-7 के अनुसार न करना:-

ग्राम पंचायत यूरनाथ की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बही का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार नहीं किया गया था। नियम 7 (3) के अनुसार रोकड़ बही में अन्तिम शेष की गणना तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में बैंक खातों में शेष जमा राशियों का विवरण, रोकड़ बही में दिया जाना अपेक्षित है। रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही में प्रत्येक वर्ष अथशेष/अन्तिम शेष की गणना नहीं की गई है जोकि उक्त नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना:-

पंचायत की रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा दिए गए विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान, व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं०	दिनांक	हस्तगत राशि (₹)
1	13.8.15 से 28.8.15	1304
2	23.9.15 से 12.10.15	1319

6 बजट प्राकलन फार्म-11 में तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राकलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राकलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व की ₹0.13 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व की ₹13135/- वसूली हेतु शेष थी।

(i) गृहकर (परिशिष्ट-2)

वर्ष	अथशेष ₹	मांग ₹	योग ₹	प्राप्ति ₹	वसूली हेतु शेष ₹
2013-14	4035	9200	13235	200	13035
2014-15	13035	9100	22135	9500	12635
2015-16	12635	9100	21735	15200	6535

(ii) भवनो/दुकानों से किराया:-

वर्ष	अथशेष ₹	मांग ₹	योग ₹	प्राप्ति ₹	वसूली हेतु शेष ₹
2013-14	1200	6600	7800	7800	—
2014-15	—	6600	6600	—	6600
2015-16	6600	6600	13200	6600	6600

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

8 अनुदान ₹22.45 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.16 तक अनुदान ₹2244542/- उपयोग हेतु शेष थी। (परिशिष्ट-3) पंचायत द्वारा विभिन्न

विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

9 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No. Name of Register

1	T.A. Check Register Form 20
2	Bill Register Form 13
3	Cheque Receipt and issue Register
4	Work Register
5	Certificate issue Register
6	Temporary Advance Register
7	consumable Stock Register –Form-26

10 निर्माण कार्यों के प्राकलन जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/-व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरों की जांच करते समय निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्यों के प्राकलन जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए। अतः निर्माण कार्यों के प्राकलन आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत किए जाए अन्यथा निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr.No.	Month	Name of work	Head	Expenditure
1	2/14	C/o community Bhawan at Kewaring	VKVNY	107800
2	2/14	C/o community Toilet at Kewaring	TSC	116801
3	10/14	C/o water storage tank at stingri	Hariyali	200000
4	12/15	C/o Noropa yog Institue at Doker Gompa	VKVNY	90000
5	12/15	C/o Panchyat Gher at Yurnath	DPO	735000

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹10.90 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट "4" में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹1089846/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 क्रय मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ दर्ज न करने बारे:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार स्टॉक/स्टोर का क्रय करने के पश्चात प्रत्येक वस्तु/मद को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित था। ग्राम पंचायत यूरनाथ के बिल वाउचरों व स्टॉक रजिस्ट्रों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा क्रय मदों की प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थी, जोकि उक्त नियम के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निम्न विवरणानुसार प्रत्येक वस्तु को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके व खपत विवरण का ब्यौरा भी रजिस्टर में दर्ज करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक क्रय वस्तु/स्टॉक को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Grant	Cash Book Page/Month	Bill No.	Firm	Item	Amt.
1	VKVNY	121/2/14	243/2.8.13	M/s Shaib Enterprises Keylong	Plywoods	58045
2	do	do	245/8/13	do	Cement	17800
3	TSC	do	Nil	M/s Daba Dolma, Keylong	Sand Aggregate	12400
4	TSC	do	Nil/28.8.13	M/s Tara Traders Keylong	Cement	20625
5	do	do	do	do	Steel	13200
6	do	do	Nil	M/s Sonam Hozere Keylong	Wood Sleeper	20000

7	Hariyali	15/10/14	004/6.9.14	M/s R.S.cement store Keylong	Steel	56896
8	do	do	308/2.9.14	M/s Norbu Chering, Keylong	Cement	37000
9	do	do	Nil	M/s Amer Singh	Sand Aggregate	31000
10	D.P.O.	172/12/15	Nil	M/s Daba Dolma	do	160500
11	IWMP	03/2.9.14	1855/21.7.15	M/s Singh wire industries Kullu	Interlink wire x Angles	149000

13 ₹2.84 लाख के Sprinkle irrigation system की खरीद व पात्र ग्रामीणों को वितरित करने बारे:-

ग्राम पंचायत यूरनाथ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 15 माह 10/2014 में "हरियाली" अनुदान के अन्तर्गत बिल संख्या 22117, दिनांक 8.9.14 द्वारा मै0 हिमाचल प्रदेश एग्री इन्डस्ट्री कार्पोरेशन लि0 से ₹283512/- में 8 Sprinkle irrigation system की खरीद करके पात्र ग्रामीणों को उपकरण वितरित किए गए परन्तु जिन पात्र ग्रामीणों को उपकरण वितरित किए गए उनका विवरण व प्राप्तकर्ता रसीदें जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः जिन पात्र ग्रामीणों को उपकरण वितरित किए गए उनका विवरण व वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

14 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया था जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 लघु आपत्ति विवरणिका:— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

16 निष्कर्ष:— ग्राम पंचायत यूरनाथ की रोकड़ बहियों व स्टॉक रजिस्ट्रों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—

(ज्ञान चन्द शर्मा)

सहायक निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(viii) 3/2016—खण्ड—1— 733—736 दिनांक: 07.02.2017
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

- पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत यूरनाथ, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी, केलांग, जिला लाहौल—स्पिति, हि0प्र0
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, हि0प्र0

हस्ता/—

(ज्ञान चन्द शर्मा)

सहायक निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.